

आज दिनांक 10.10.2026 को पुलिस अधीक्षक मऊ श्री सर्वेश कुमार मिश्रा द्वारा थाना मुहम्मदाबाद का औचक निरीक्षण किया गया तथा आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये –

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री सर्वेश कुमार मिश्रा द्वारा थाना कार्यालय के त्यौहार रजिस्टर, अपराध रजिस्टर, जनसुनवाई रजिस्टर, आदि का अवलोकन किया गया तथा अभिलेखों को ससमय अभिलेखित करने व गैरेस्टर, गुंडा एक्ट, एचएस में त्वरित कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया। इस दौरान भ्रमण कर सीसीटीएनएस कार्यालय, विवेचना कक्ष, महिला हेल्प डेस्क, मालखाना, बंदीगृह, बैरक, भोजनालय, शस्त्रागार, शौचालय, थाना परिसर में लगे कैमरो आदि का निरीक्षण किया गया तथा सर्वसम्बन्धित को आवश्यक दिशा- निर्देश दिए गए। महिला हेल्प डेस्क पर नियुक्त महिला आरक्षी से प्रार्थना पत्रों को गम्भीरतत्पूर्वक सुनने तथा निस्तारण के बाद नियमित फीडबैक लेने हेतु निर्देश दिए गए। साथ ही साथ थाना परिसर में भ्रमण कर साफ- सफाई इत्यादि का निरीक्षण किया गया तथा साफ सफाई उच्च स्तर का बनाये रखने हेतु प्रभारी निरीक्षक मुहम्मदाबाद व अन्य अधिकारी/ कर्मचारीगण को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। इस दौरान प्रभारी निरीक्षक मुहम्मदाबाद श्री कमलाकान्त वर्मा व अन्य पुलिस बल मौजूद रहे।

थाना/समाधान दिवस पर जनशिकायतों को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण कराये जाने के क्रम में दिनांक 10.10.2026 को पुलिस अधीक्षक मऊ श्री सर्वेश कुमार मिश्रा द्वारा थाना मुहम्मदाबाद पर उपस्थित रहकर थाना समाधान दिवस पर जनशिकायतों को सुना गया साथ ही साथ जनपद के समस्त थानों पर भी थाना समाधान दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान द्वारा समस्त थानों पर क्षेत्राधिकारीगण व प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष द्वारा जनशिकायतों को सुना गया तथा इसके समयबद्ध तथा गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हेतु सर्वसम्बन्धित को निर्देशित किया गया। जनपद के समस्त थानों पर प्राप्त 62 प्रार्थना पत्रों में से कुल 02 प्रार्थना पत्रों का मौके पर पुलिस एवं राजस्व की संयुक्त टीम द्वारा निस्तारण कराया गया तथा राजस्व विभाग से सम्बन्धित प्रार्थना पत्रों के निस्तारण हेतु राजस्व टीम को आवश्यकतानुसार पुलिस बल उपलब्ध कराकर निस्तारण किये जाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित किया गया।

शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के मामले में वांछित एक नफर अभियुक्त किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री सर्वेश कुमार मिश्रा के निर्देशन में अपराध/ अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के कुशल पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री नितेश प्रताप सिंह के कुशल निर्देशन में थाना सरायलखंसी पुलिस टीम द्वारा दिनांक 10.10.2026 को कहिनौर चट्टी से कुश्मौर मार्ग के पास से मु0अ0सं0- 356/2026 धारा 69 बीएनएस थाना सरायलखंसी जनपद मऊ सम्बन्धित वांछित अभियुक्त राज पासवान पुत्र सुदेश पासवान निवासी ग्राम गांई थाना मरदह जनपद गाजीपुर उम्र 19 वर्ष को गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग का विवरण

1. मु0अ0सं0- 356/2026 धारा 69 बीएनएस थाना सरायलखंसी जनपद मऊ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम, पता

1. राज पासवान पुत्र सुदेश पासवान निवासी ग्राम गांई थाना मरदह जनपद गाजीपुर।

गिरफ्तारी का दिनांक

1. दिनांक- 10.10.2026

2. स्थान- कहिनौर चट्टी से कुश्मौर मार्ग के पास।

थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ साइबर पुलिस टीम द्वारा पीड़ित का फ्रॉड हुआ कुल धनराशि- 1,23,857/- (एक लाख तेईस हजार आठ सौ सत्तावन रुपया) पीड़ित को वापस कराया गया

पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ सर्वेश कुमार मिश्रा के कुशल निर्देशन में साइबर फ्राड रोकथाम व जागरूकता के तहत चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के कुशल पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारीगण के कुशल नेतृत्व में थाना कोतवाली नगर साइबर पुलिस टीम द्वारा दिनांक- 10.10.2026 को पीड़ित / आवेदक अमन सिंह पटेल निवासी ग्राम सहादतपुरा थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ का यूपीआई के माध्यम से फोन करके फ्राड की गयी कुल धनराशि- 1,23,857/- (एक लाख तेईस हजार आठ सौ सत्तावन रुपया) MRM PORTAL के माध्यम से थाना कोतवाली नगर साइबर पुलिस टीम जनपद मऊ द्वारा वापस कराया गया।

पुलिस अधीक्षक मऊ द्वारा आमजन से अपील की गई है कि किसी भी प्रकार की ऑनलाइन ठगी, अज्ञात लिंक, फर्जी कॉल, केवाईसी अपडेट, निवेश, लोन, पार्ट टाइम जॉब अथवा OTP साझा करने से सावधान रहें। साइबर ठगी होने पर तत्काल साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 अथवा www.cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कराएं।

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री सर्वेश कुमार मिश्रा के निर्देशन में दिनांक- 10.10.2026 को जनपद मऊ के समस्त थाना क्षेत्रान्तर्गत संदिग्ध व्यक्तियों/ वाहनो व यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध व्यापक चेकिंग अभियान चलाया गया

इस अभियान के अंतर्गत टीमे गठित कर जनपद के विभिन्न स्थानों पर बदल बदलकर संदिग्ध वाहनो/व्यक्तियों को चेक किया गया जिसमें यातायात के नियमों का पालन न करने पर 390 वाहनों को एमवी एक्ट के अन्तर्गत चालान व 02 वाहन को सीज किया गया साथ ही साथ अन्य लोगों को हिदायत भी दी गयी। यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाने हेतु वाहन चालकों को नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित किया गया।

पुलिस अधीक्षक मऊ द्वारा आमजन से अपील किया गया है कि वे यातायात नियमों का पालन करें, हेलमेट एवं सीट बेल्ट का अनिवार्य रूप से प्रयोग करें एवं गलत स्थानों पर पार्किंग नही करे तथा सुरक्षित यातायात में सहयोग प्रदान करें।

आगामी त्योहारों के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक मऊ श्री सर्वेश कुमार मिश्रा द्वारा मुहम्मदाबाद गोहना क्षेत्र में पैदल गस्त किया गया

आगामी त्योहारों को सकुशल, शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में सम्पन्न कराने तथा जनपद में कानून एवं शांति व्यवस्था सुदृढ़ बनाए रखने के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक मऊ श्री सर्वेश कुमार मिश्रा द्वारा क्षेत्राधिकारी मुहम्मदाबाद श्री जितेन्द्र सिंह व प्रभारी निरीक्षक मुहम्मदाबाद सहित भारी संख्या में पुलिस बल के साथ मुहम्मदाबाद गोहना थाना क्षेत्र में रेलवे स्टेशन मुहम्मदाबाद से सब्जी मण्डी बाजार तक पैदल/ भ्रमण किया गया तथा बाजारों एवं प्रमुख स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया। संबंधित अधिकारियों को आगामी त्योहारों के दृष्टिगत सतर्कता बनाए रखने, संवेदनशील स्थानों पर विशेष निगरानी रखने तथा यातायात एवं कानून-व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

थाना मधुबन, जनपद मऊ साइबर पुलिस टीम द्वारा पीड़ित का फ्रॉड हुआ कुल धनराशि- 1,23,857/- (एक लाख तेईस हजार आठ सौ सत्तावन रुपया) पीडित को वापस कराया गया

पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ सर्वेश कुमार मिश्रा के कुशल निर्देशन में साइबर फ्राड रोकथाम व जागरूकता के तहत चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के कुशल

पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारीगण के कुशल नेतृत्व में थाना कोतवाली नगर साइबर पुलिस टीम द्वारा दिनांक- 10.10.2026 को पीड़ित / आवेदक अमन सिंह पटेल निवासी ग्राम सहादतपुरा थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ का यूपीआई के माध्यम से फोन करके फ्राड की गयी कुल धनराशि- 1,23,857/- (एक लाख तेईस हजार आठ सौ सत्तावन रुपया) MRM PORTAL के माध्यम से थाना कोतवाली नगर साइबर पुलिस टीम जनपद मऊ द्वारा वापस कराया गया।

पुलिस अधीक्षक मऊ द्वारा आमजन से अपील की गई है कि किसी भी प्रकार की ऑनलाइन ठगी, अज्ञात लिंक, फर्जी कॉल, केवाईसी अपडेट, निवेश, लोन, पार्ट टाइम जॉब अथवा OTP साझा करने से सावधान रहें। साइबर ठगी होने पर तत्काल साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 अथवा www.cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कराएं।